महत्वपूर्ण एवं खास

भारी बारिश की चेतावनी : अगले 24 घंटो के दौरान जमकर बरसेंगे बादल

रायपुर/दिल्ली (आरएनएस)। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि आज देश के कई राज्यों में अच्छी वर्षा हो सकती है। देश में इन दिन कई राज्यों में झमाझम बारिश का दौरा शुरू है। कई इलाकों में बारिश से सडक़ो पर भारी जलजमाव और बाढ़ जैसे हालात है, जो लोगों की दुर्घटना का कारण बन रहा है, इन सब के बीच मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। बारिश के चलते कई इलाकों में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आने-जाने से लेकर आम आदमी की जिंदगी की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। कई इलाकों में लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का कहना है कि आज देश के कई राज्यों में अच्छी वर्षा हो सकती है। बुधवार को कहीं कहीं भारी वर्षा भी होने की संभावना है। इसी कारण बुधवार के लिए आरेंज जबकि उसके बाद अगले दो दिन के लिए यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी अगले 24 घंटों के दौरान, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी राजस्थान और दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।

बारिश में भी 63 व्यक्तियों ने कराई टीबी और मौसमी बीमारी की जांच

टिमरलगा के शिविर में टीबी के 30 संदिग्ध मरीज पाए गए

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश साहू के निर्देशन में टिमरलगा में आयोजित शिविर में बारिश होने पर भी 63 व्यक्तियों ने टीबी और मौसमी बीमारी की जांच कराई, जिसमें टीबी के 30 संदिग्ध मरीज पाए गए। इस जांच में जो संदिग्ध हैं, उनका वेरिफाई जांच सेम्पल पैथोलॉजी से जुड़े स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर चेक करेंगे। टीबी के मरीज होने पर इलाज, रोकथाम के उपाय और दवा का सेवन आदि की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। जिले के खनिज और स्वास्थ्य विभाग तथा क्रेशर उद्योग समूह के सामूहिक योगदान से माइनिंग क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य को देखते हुए बुधवार 31 जुलाई को टिमरलगा उप स्वास्थ्य केंद्र में शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में टीबी स्क्रीनिंग आउटरीच एवं मौसमी बीमारी का इलाज जांच सुबह 11 बजे से शाम तक किया गया। इसमें अधिकतर क्रेशर उद्योग समूह के महिला पुरूष, खनिज और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी तथा क्रेशर उद्योग समूह से जुड़े नागरिक, स्वास्थ्य विभाग के समस्त आरएचओ महिला एवं पुरुष, सीएचओ पर्यवेक्षक, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य चिकित्सा सहायक अविनाश , गिरिजा लहरे, दिनेश और सरिता बरेठ शामिल थे।

सारंगढ़, बरमकेला, बिलाईगढ़ और पवनी में 2 अगस्त को होगा जनसमस्या निवारण शिविर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। नगरपालिका और नगर पंचायत में निवासरत नागरिकों के बुनियादी कार्यों से जुड़े समस्याओं को दूर करने जनसमस्या निवारण शिविर 2 अगस्त 2024 को नगरपालिका परिषद सारंगढ़ में वार्ड 7 और 13 के लिए ठाकुर राउर चौक रंगमंच में, नगर पंचायत बरमकेला में वार्ड 9 और 10 के लिए वार्ड 9 के गायत्री मंदिर के पास और नगर पंचायत बिलाईगढ़ में वार्ड 4,5,6,7,8,9 के लिए बिलाईगढ़ के बंगलाभांठा सोसायटी में तथा नगर पंचायत पवनी में वार्ड 6,7,8,11,12,13 के लिए पवनी के यादव चौरा में आयोजित होगा।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बंगले का 12 को घेराव करेंगे पेंशनर्स

4 प्रतिशत महंगाई राहत देने और धारा 49 को विलोपित करने की मांग

रायपुर । आरएनएस

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ रायपुर की मेरिन ड्राइव तेलीबांधा तालाब के निकट स्थित यूनियन ऑफिस में बैठक हुआ। बैठक में केन्द्र के समान 4% डीआर और मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित करने की मांग को लेकर आगामी 12 अगस्त को वित्तमंत्री ओ पी चौधरी के सरकारी आवास पर प्रदर्शन कर बंगले का घेराव करने का निर्णय लिया गया।बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने की। बैठक महासंघ के कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, महामंत्री अनिल गोलहानी, लोचन पांडेय, रायपुर जिला के अध्यक्ष आर जी बोहरे तथा अन्य पदाधिकारी क्रमश: बी एस दसमेर, अनिल पाठक, नरसिंग राम, ओ डी शर्मा, व्ही टी सत्यम, मालिक राम वर्मा, अनिल तिवारी, के जी विंसेंट, रामगोपाल श्रीवास्तव, नागेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे।

भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया है कि विगत 23 वर्षो से लम्बित मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 को विलोपित कर राज्य की बुजुर्ग पेंशनरों को मध्यप्रदेश सरकार पर आर्थिक निर्भरता से मुक्ति दिलाने और जनवरी 24 से बकाया 4% महंगाई राहत प्रदान करने पर शीघ्र निर्णय लेने हेतु वित्त मंत्री से चर्चा हेतु निरंतर प्रयास करने पर भी बुजुर्ग पेंशनर प्रतिनिधि मंडल को समय नहीं दिया जा रहा है इसलिए मांगो पर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षण हेतु 12 अगस्त को घेराव का निर्णय लिया गया है।

जारी विज्ञप्ति में आगे बताया गया है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत पेंशनरी दायित्वों का बंटवारा नही होने से हर आर्थिक भुगतान के लिये मध्यप्रदेश शासन से सहमति लेना अनिवार्य मजबूरी बना हुआ है, सम्प्रति पेंशनरो की महंगाई राहत की राशि की किस्त केंद्र में 50?प्रतिशत हो गया है और यहां पेंशनरों को केवल 46 पर रोककर रखे हुए हैं. जबकि प्रदेश में ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी को राज्य के बजट से 50 % महंगाई भत्ता का भुगतान किया जा रहा है। एक ही राज्य में दोहरी नीति राज्य के पेंशनरों के साथ घोर अन्याय है।देश के बहुतायत राज्य भी अपने राज्य में आदेश कर पेंशनरो को 50% के दर से भुगतान भी कर चुके हैं छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सवा लाख से अधिक पेन्शनर और परिवार पेंशनर महंगाई से त्रस्त दोनों राज्य सरकारों के बीच सहमति असहमति के बीच पिसा जा रहा है।राज्य विभाजन के बाद से पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) की किस्त देने के लिए वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन को आदेश जारी करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम 2000 के धारा 49(6) के परिपालन में दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरत होगी। जिसमें दोनों राज्यों के बीच 74:26 के अनुपात में बजट का आबंटन के बाद ही पेंशनर्स हेतु दोनों राज्यों में समान दर और समान तिथि से आदेश जारी होते हैं। जैसा कि हमेशा से होता आया है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को बिना देर किए मध्यप्रदेश शासन से सहमति हेतु पत्राचार करना चाहिए।

मुख्यमंत्री को बताया गया कि मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन के बीच पेंशनरी दायित्व के बंटवारे नहीं होने से मध्यप्रदेश सरकार को आर्थिक फायदा है,इसलिए मध्यप्रदेश शासन धारा 49 को वर्षो से जानबूझकर टालती आ रही हैं। पेंशनरी दायित्वों का बंटवारा नहीं होने से छत्तीसगढ़ शासन को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।इसे संज्ञान में लेकर जरूरी कार्यवाही करने पर बल दिया गया है।

करंट लगने से सीमेंट फैक्ट्री कर्मी की मौत

दुर्ग-रायपुर (आरएनएस)। अडानी एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा सामने में आया है ,जहां आबिद खान जो कि इस कंपनी में काम कर रहा था मेंटेनेंस ऑफिस में 8: 00 -9:00 रू के बीच करंट लग कर जलने से उसकी मौत हो गई है । आबिद 29 वर्ष का था और लगभग 10 साल से यहां कार्य कर रहा था जो जामुल वार्ड नं 2 विश्वकर्मा चौक का निवासी है। उसके पत्नी, बुजुर्ग पिता ,दो बच्चे , लडक़ी 3 वर्षीय और एक लडक़ा 1.5 वर्ष का है। अडानी एसीसी एक प्रतिष्ठित समूह है। लगभग 3 माह पूर्व भी यहीं एक ड्युटी पीरेड मे एक कर्मचारी की हत्या भी हुई थी। एक बड़े समूह की कम्पनी मे इस प्रकार की घटना का होना कहीं ना कहीं श्रम कानून एवं नियमो की अवहेलना को दर्शाता हैं। प्रत्यक्षदर्शियो के अनुसार आबिद शरीर इतना जल गया था कि शरीर से बदबू भी आ रही थी। कुछ माह पूर्व इसी कम्पनी मे बाल राजू नाम के कर्मचारी की हत्या हुई थी तब प्रबन्धन ने आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए और सीसीटीवी कैमरा क्यों नही लगाए।

परिवहन एवं खनिज विभाग टीम की संयुक्त कार्यवाही, जांच में मिली खामियां, 7 गाड़ियों पर 59 हजार जुर्माना

परमिट शर्तो के उल्लंघन एवं बिना रिफ्लेक्टर के परिवहन करते पाये जाने पर हुई कार्यवाही

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले में बिना तारपोलिन ढके वाहनों, परमिट शर्तो के उल्लंघन तथा ओवरलोड गाडिय़ों पर भी कार्यवाही के निर्देश संबंधित विभाग को दिए है। उक्त निर्देश के परिपालन में परिवहन विभाग, खनिज विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए ग्राम चपले चौक राष्ट्रीय राजमार्ग-49 में लगभग 25 वाहनों की जांच की गई। परिवहन विभाग द्वारा 7 वाहनों में ओवर लोडिंग, परमिट शर्तो के उल्लंघन एवं बिना रिफ्लेक्टर के परिवहन करते पाये जाने पर 59,900 रुपये जुर्माना अधिरोपित किया गया।

पर्यावरण विभाग द्वारा पीयूसी नहीं होने, संबंधित नोडल का नाम वाहन पर नही होने, क्षतिग्रस्त वाहन द्वारा परिवहन करने, ट्राली में 5 सेमी फ्री बोर्ड स्पेस नहीं होने एवं समुचित रूप से तारपोलिन से ढके बिना कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने पर वाहनों से संबंधित मेसर्स एस.के.एस.पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़)लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट एवं दर्रामुड़ा तहसील-खरसिया, मेसर्स जे.एस.डब्ल्यू, स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेडए ग्राम-नहरपाली, मेसर्स विमला इन्फ्रास्टक्चर (इण्डिया) प्रा.लि.भूपदेवपुर, खरसिया को नोटिस जारी किया गया है।

सीएमएचओ ने डेंगू रथ को दिखाई हरी झण्डी

रायगढ़

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी ने आज डेंगू रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ विभिन्न वार्डो एवं मोहल्ले में जाकर लोगों के बीच डेंगू के लक्षण एवं उसके बचाव के संबंध में जानकारी देगी। इस दौरान सीएमएचओ ने टेमीफॉस 1 ली. पानी में 2.5 मि.ली. लेकर इस प्रकार से 10 ली. का घोल तैयार कर प्रभावित क्षेत्र वार्ड क्रम-20 जुना बड़पारा, भूपदेव गंज, रामगुड़ी पारा, छोटे अतरमुड़ा, कोष्टापारा, गाँधी गंज, गांजा चौक, 2, 4,16,19,20,21, 13 तथा 12 के वार्डो का सघन सर्वे कर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। इन ग्रसित क्षेत्रो में डेंगू से बचाव हेतु सघन अभियान कार्यक्रम कार्य करने को निर्देशित किया गया। जिस घर में सोर्स रिडक्शन कार्य किया जायें वहा पर मार्क्रर पेन द्वारा एसआर डेट व 1,2,3,4 का क्रम लेकर कार्य करने का निर्देश करेंगे। अधिकारी-कर्मचारियों के लिए प्रात:10 बजे से 2:30 बजे तक सोर्स रिडक्शन का कार्य करने का समय निर्धारित किया गया तथा टीकाकरण दिवस मंगलवार एवं शुक्रवार को संपूर्ण टीकाकरण करने के पश्चात 11 से 2 बजे तक डेंगू कार्य करने हेतु निर्देश दिया गया। जिसमें स्थानीय कार्यालय के जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. टी. जी.कुलवेदी,जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ बी. पी. पटेल, नोडल अधिकारी डॉ.केनन डेनियल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा, शहरी कार्यक्रम प्रबंधक श्री. पी.डी. बस्तिया, जिला एपिडर्मियोलॉजिस्ट डॉ. कल्याणी पटेल आरएमएनसीएच, डॉ राजेश मिश्रा, डीपीएचएन सीमा बरेठ, प्रभारी मीडिया अधिकारी उमा महंत भी उपस्थित रहे।

पत्नी के मायका चले जाने पर पति ने रेलवे ट्रैक पर की आत्महत्या की कोशिश

डॉयल 112 स्टाफ ने समय रहते मौके पर पहुंच कर बचाई युवक की जान

रायगढ़

दिनांक 31.07.2024 के दोपहर 02:21 बजे डॉयल 112 कमान कंट्रोल रायपुर से डॉयल 112 खरसिया राइनो को ग्राम बगडेवा के पास रेलवे ट्रैक पर एक युवक आत्महत्या के लिये जाने का इंवेट मिला। इंवेंट पर खरसिया राइनो का आरक्षक भगवती प्रसाद लक्ष्मे और चालक सम्मेलाल पटेल वाहन पर ग्राम बगड़ेवा पहुंचे। कॉलर के बताये अनुसार डॉयल 112 स्टाफ युवक को खोजते हुए वाहन जाने का रास्ता नहीं होने पर रेलवे ट्रैक के किनारे पैदल-पैदल करीब 03 किमी आगे बढ़े जहां उन्हें ट्रैक पर थका हारा बैठा हुआ एक युवक (उम्र करीब 35 साल) मिला जिसे जवानों ने रेलवे ट्रैक से उठने बोले तो उल्टा पुलिसकर्मियों को वहां से जाने को बोला और अपने आत्महत्या के इरादे को बताया। आरक्षक भगवती ने युवक से नाम पता पूछा तो युवक ने ग्राम तिउर थाना खरसिया का रहने वाला बताया।

आरक्षक ने उसके रिस्तेदार का पता लगाकर उसके चाचा को मौके पर बुलाया। उसके चाचा ने बताया कि उसका भतीजा (युवक) और उसकी पत्नी के बीच कुछ अनबन चल रही है जिससे युवक की पत्नी मायके चली गई है जिससे भतीजा परेशान है। आरक्षक भगवती प्रसाद लक्ष्मे और उसके चाचा ने युवक को काफी समझा और घर जाने बोले कुछ देर बाद युवक उसके चाचा के साथ घर जाने राजी हुआ। डॉयल 112 स्टाफ ने कॉलर को उसकी सजगता और मौका रहते घटना की सूचना देने के लिए साधुवाद दिया गया।

प्रभावित व्यक्ति का मुआवजा प्रकरण अनिवार्य रूप से बनाएं अधिकारी : कलेक्टर

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश साहू ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिले के प्रगतिरत कार्यो और आवेदनों के मांग, शिकायत आदि पर निराकरण की स्थिति की समीक्षा समय सीमा की बैठक में की। जिलाधीश धर्मेश साहू ने राजस्व प्रकरणों पर बरमकेला तहसीलदार पूनम तिवारी से कई बिन्दुओं पर चर्चा कर निराकरण के निर्देश दिए। उसी प्रकार किसी शिकायत पर जांच के बिन्दुओं को प्रभावित करने वाले कारण को ढूंढते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार पेंशन संबंधी प्रकरणों पर प्रभारी अधिकारी समाज कल्याण विनय तिवारी से पेंशन सत्यापन की स्थिति पर चर्चा कर पेंशन शीघ्र प्रदान करने के निर्देश दिए। बैठक में आगामी जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर की प्रारंभिक तैयारी, फार्म आदि साथ में रखकर शिविर में शामिल होने के निर्देश कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि एक किसान अपने नवीन किसान पुस्तिका के लिए शिविर में आए तो एक ही दिन में उसका काम हो जाए तो वो कई बार इधर उधर चक्कर लगाने से बच जाएगा। कलेक्टर ने भू-अर्जन प्रकरण पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एसडीओ विग्नेश कुमार को कहा कि जो भी भूमालिक का जमीन का मुआवजा प्रकरण बनेगा उन सभी को भूअर्जन का मुआवजा हेतु प्रक्रिया आगे बढ़ाओ। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी प्रभावित व्यक्ति का मुआवजा दिलाना अनिवार्य है, नहीं तो वह प्रभावित व्यक्ति संबंधित संस्था, कार्यालय में आवेदन प्रक्रिया करेगा इसलिए समस्या का निराकरण शीघ्र करें। बैठक के दौरान जिले में संयुक्त कलेक्टर के पदभार ग्रहण कर चुके एस.के. टंडन ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपना परिचय दिया। बैठक में परियोजना निदेशक पंचायत हरिशंकर चौहान, एसडीएम डॉ. स्निग्धा तिवारी, सीएमएचओ डॉ. एफ. आर. निराला सहित जिले के सभी प्रभारी अधिकारी उपस्थित थे।

गर्ल्स हॉस्टलों के लिए 1715 महिला होमगार्ड की भर्ती

ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त तक

सारंगढ़ बिलाईगढ़

छत्तीसगढ़ में संचालित शासकीय कन्या छात्रावासों में महिला होमगार्ड नियुक्त किए जाने हेतु नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं तथा एसडीआरएफ मुख्यालय छत्तीसगढ़ ने राज्य के मूल निवासी इच्छुक युवक-युवतियों से वेबसाईट https://firenoc.cg.gov.in/ फायरएनओसी डॉट सीजी डॉट जीओव्ही डॉट इन में ऑनलाइन आवेदन 10 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ होमगार्ड (नगरसेना) के सामान्य ड्यूटी के लिए 500 स्वयंसेवी सैनिकों की रिक्त पदों की भर्ती की जा रही है। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए हाईस्कूल या हायर सेकेंडरी (दसवीं या बारहवीं) उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित या नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य, ओबीसी एवं एससी वर्ग के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास एवं अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अभ्यर्थियों के लिए 5वीं पास होना आवश्यक है। अनारक्षित और ओबीसी के लिए 300 रूपए और एसटी-एससी के लिए 200 रूपए परीक्षा शुल्क निर्धारण किया गया है। इस भर्ती के लिए सभी वर्गों के लिए 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आत्मसमर्पित या नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को नगरसैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस भर्ती की विस्तृत जानकारी रोजगार और नियोजन के 17 जुलाई 2024 के अंक और रोजगारमार्गदर्शन डॉट कॉम https://www.rojgarmargdarshan.com/ पर उपलब्ध है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

आईएएस अधिकारियों का तबादला

रायपुर । आरएनएस

राज्य सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। गुरुवार देर शाम सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सुश्री ऋतु सैन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बाद राज्य संवर्ग लौटने पर कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह निवेश आयुक्त छग औद्योगिक विकास निगम के पद पर पदस्थ किया गया है।

अम्बलगन पी. सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, अतिरिक्त प्रभार सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्य विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ सचिव जनशिकायत निवारण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

नीलम नामदेव एक्का सचिव जनशिकायत निवारण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक विमानन, सचिव गृह एवं जेल विभाग को आयुक्त बिलासपुर संभाग बनाया गया है।

जनक प्रसाद पाठक आयुक्त चिकित्सा शिक्षा तथा अतिरिक्त प्रभार पंजीयक फर्म एवं संस्थाएं को आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ करते हुए मिशन संचालक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

महादेव कावरे संचालक कोष एवं लेखा तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक पेंशन को आयुक्त रायपुर संभाग बनाया गया है।

श्रीमती शारदा वर्मा सचिव वित्त विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक बजट आयुक्त उच्च शिक्षा मिशन संचालक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अधियान को सचिव वाणिज्यकर (पंजीयन) के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव वित्त विभाग का अतिरक्त प्रभार सौंपा गया है।

श्रीमती किरण कौशल विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार) वाणिज्यिक कर (पंजीयन) को आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया है।

अनुराग पांडेय कलेक्टर जिला बीजापुर को विशेष सचिव मंत्रालय के पद पर पदस्थ किया गया है।

चंदन कुमार विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग एवं विशेष सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

संजीव कुमार झा संचालक समग्र शिक्षा को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ संचालक विमानन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

रजत बंसल आयुक्त वाणिज्यिक कर (जीएसटी) तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक आयुक्त मनरेगा के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं आयुक्त मनरेगा को आयुक्त मनरेगा के पद पर पदस्थ करते हुए संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

पुष्पेंद्र कुमार मीणा सचिव लोकसेवा आयोग तथा अतिरिक्त प्रभार महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक को आयुक्त वाणिज्यिक कर (जीएसटी) के पद पर पदस्थ करते हुए सचिव लोकसेवा आयोग एवं महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

सुश्री पुष्पा साहू संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा अतिरिक्त प्रभार सचिव छग माध्यमिक शिक्षा मंडल, संयुक्त सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को केवल संयुक्त सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।